यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर के माह 02.2014 से 06.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.07.2018 से 24.07.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो॰ सलीम खान, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 17.02.14 से 20.02.14 तक श्री बजरंग सिंह चंदेल, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2001 से 01/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2014 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन कैरियर काउन्सलिंग, रोजगार मेले, स्वत: रोजगार, पंजीयन एवं विभागीय योजनायों के क्रियान्वयन हेतु जिला उधम सिंह नगर का समस्त भौगोलिक अधिकार क्षेत्र आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	0.00	0.00	27.80	25.57	7.00	6.66	-	2.57
2	2016-17	0.00	0.00	29.17	29.03	7.69	6.72	-	1.11
3	2017-18	0.00	0.00	33.59	33.48	7.68	6.92	-	0.87
4	2018-19 06/2018 तक	0.00	0.00	18.35	8.13	5.48	0.00	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**अधिक्य(+)/ बचत(-)**	**ब्याज**
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	19.72	19.72	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून

b) अपर सचिव, सेवायोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून

c). निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

e). जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 02.2014 से 06.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10.2014 एवं 03.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - 2 'ब'

प्रस्तर:1- व्यय धनराशि रु 12.24 लाख अनुमोदित योजनाओं के अनुरूप नहीं पाया जाना ।

जिला योजना समिति के जारी दिशानिर्देश के अनुसार योजना के अंतर्गत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय अनुमोदित योजनाओं पर ही की किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी रुद्रपुर की लेखापरीक्षा अवधि 2015-16 से 2017-18 के मध्य जिला योजना के तहत इकाई को जनपद में कैरियर परामर्श कार्य हेतु वर्षवार क्रमशः रु 4.12 लाख, रु 3.50 लाख तथा रु 4.62 लाख जारी की गयी, जिसमें कैरियर परामर्श के अंतर्गत विनिधारित कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने थे। 'इस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी स्कूल, कॉलेज के छात्र / छात्राओं को स्वतः रोजगार के अवसरों की जानकारी देने एवं विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जानकारी देने का कार्य स्वयं तथा विशेषज्ञों से वार्ताएं आयोजित कराकर सम्पन्न कराना, जिससे छात्र / छात्राओं को अध्ययन काल में ही अपने कैरियर का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हो सकें। कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त सेवायोजन कार्यालयों में रोजगार एवं कैरियर चयन सम्बन्धी साहित्य / पुस्तकें आदि भी पर्याप्त मात्रा में छात्र - छात्राओं को वितरित करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सेवायोजन कार्यालय में कैरियर परामर्श कार्य के अतिरिक्त अन्य योजनाएँ जैसे - रोजगार मेलों का आयोजन, शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केंद्र, मॉडल कैरियर सेंटर तथा इंटेरलिंकिंग ऑफ इम्प्लॉइमेंट एक्स्चेंज टू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल भी संचालित हो रहे थे। इस संबंध में अनुमोदित योजना - कैरियर कौंसेलिंग हेतु आवंटित धनराशि के व्यय का लेखांकन तथा पंजिका का रखरखाव पृथक से नहीं किया जा रहा था। कार्यक्रम से संबंधित पंजिका में उक्त राशि से कार्यालय - व्यय, साज - सज्जा, तथा विविध प्रयोजन के लिए वाहन ईंधन व्यय आदि पर आवंटित राशि का बड़ा भाग व्यय किया जाना पाया गया ।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में पंजिका का रखरखाव लेखापरीक्षा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, जिला योजना के अंतर्गत कैरियर कौंसेलिंग के लिए अनुमोदित राशि का पृथक लेन - देन न रखा जाना स्वतः प्रमाणक था कि उक्त आवंटित धनराशि से मुख्य प्रयोजन को प्रभावित कर वैसे मद (जिसके लिए शासन से नियमित बजट का प्रावधान है) पर व्यय अनुमन्य नहीं था, उनपर भी व्यय कर दिया गया ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:1- त्रुटिपूर्ण लेखाशीर्ष मे शासकीय धन जमा किए जाने के कारण रु 1.0 लाख की धनराशि से विभाग का वंचित रहना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारो को सह कौशल विकास भत्ता विगत वर्षो मे समय समय पर प्रदान किया गया। उक्त भत्ते हेतु अभ्यर्थियो का पंजीकरण जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा किया गया। भत्ते की अनुमन्यता हेतु आवेदक का बेरोजगार होना अनिवार्य था तथा रोजगार/ स्वरोजगार प्राप्त अभ्यर्थियो को भत्ता अनुमान्य नही था। संबन्धित पत्रावली जांच मे पाया गया कि विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियो को वितरित बेरोजगारी सह विकास भत्ते कि वसूली अधिक भुगतान के कारण अभ्यर्थियो से की गयी।वर्ष 2015-16 मे धनराशि रु 1.0 लाख के बेरोजगारी भत्ते निरस्त किए गए जिसकी वसूली अभ्यर्थी से कर चालान द्वारा विभागीय लेखाशीर्ष मे जमा किया गया। जांच मे पाया गया कि रु 1.0 लाख कि धनराशि लेखाशीर्ष 0230-00-800 मे जमा न कर लेखाशीर्ष 0230-00-103 मे जमा किया गया। अतः त्रुटिपूर्ण लेखाशीर्ष मे धनराशि के जमा किए जाने के कारण विभागीय प्राप्ति के रूप मे प्राप्त होने वाली धनराशि रु 1.0 लाख से विभाग वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर दिया गया कि भविष्य के लिए नोट किया।

उत्तर मान्य नही है क्योकि इकाई द्वारा गलत लेखाशीर्ष मे धनराशि जमा किए जाने के कारण रु 1.0 लाख की विभागीय प्राप्ति से विभाग वंचित रहा।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- सेवायोजन अधिनियम का परिपालन सुनिश्चित नहीं कराये जाने का प्रकरण पाया जाना

निदेशक सेवायोजन उत्तराखंड देहारादून के पत्रांक 228-29/डीटीईयू/सेवा/डाटा/ऑडिट/2018 दिनांक 04 मई, 2018 द्वारा बिन्दु सं-05 के अंतर्गत मिशन में वर्णित पाया गया कि CNV (Compulsory notification of vacancy) Act 1959 (The employer is every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall furnish such information or return as may be prescribed in relation to vacancies that have occurred or are about to occur is that establishment to such employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall there upon comply with such requisition) का क्रियान्वयन करना एवं एक्ट के अंतर्गत प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष पंजीकृत अभ्यर्थिओं के नामों का सम्प्रेषण करना मिशन का कार्य है ।

परंतु कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में इकाई की कोई कार्य योजना समयबद्ध नहीं पायी गई जिसके अंतर्गत तहसील स्तर के सेवायोजकों के अभिलेखों का निरीक्षण तथा अधिनियम से संबन्धित धाराओं से परिचित कराने का प्रावधान था । अधिनियम के परिपालन में तहसील क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी/क्षेत्र में सृजित भर्तियों की नोटिफ़िकेशन की सूचना सेवायोजन कार्यालय द्वारा सेवायोजकों से सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा था ।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अधिनियम के परिपालन के लिए शासन द्वारा ऐसा कोई नियमावली तैयार नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के फ़र्मों द्वारा रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय के नियमित रूप से प्रस्तुत न करने की दशा में सीधे तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है ।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, जिस उद्देशय के लिए शासकीय व्यय किया जा रहा है, उसे पूरा किए जाने के लिए समन्वय किया जाना चाहिए था तथा डिफ़ाल्टर कंपनी को चिन्हित कर शासन की जानकारी में लाया जाना चाहिए था तथा एक्ट के अनुपालन हेतु मैकानिज़म विकसित करने के लिए विभागीय प्रयास की कमी पायी गई ।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
12/2000-2001	शून्य	01	-	-
173/2013-14	-	01,02	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्रीमति अनुभा जैन	जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर	विगत लेखापरीक्षा से 15.06.2018 तक
श्री नारायण सिंह दरम्वाल	जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर	16.06.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, उधम सिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.